राजस्थान सरकार

राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर

क्रमांकः–प.3–1(13)(17)राअप्रसं/प्रशि/2026/3092-3132 दिनांकः– 20/02/26

श्रीमान जिला कलक्टर।
(समस्त)

विषयः–पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 में चयनित पटवारियों एवं अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियमों के अन्तर्गत नियुक्त प्रशिक्षु पटवारियों के पटवार प्रशिक्षण के सम्बन्ध में निर्देश।

प्रसंगः– राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/भूअ/ई–3/परीक्षा/प–305/2025/3856–3900 दिनांकः–19/02/2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 से चयनित अभ्यर्थियों एवं अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियमों के अन्तर्गत नियुक्त प्रशिक्षु पटवारियों को 6(छः) माह के लिए पटवार प्रशिक्षण दिनांक **26–02–2026** से प्रारम्भ किया जाना है। अतः चयनित पटवारियों में से जिलेवार आवंटित पटवारियों के सफल प्रशिक्षण के सन्दर्भ में निम्न निर्देश दिये जाते हैं:–

**1. .प्रशिक्षु पटवारियों की उपस्थिति एवं आवंटित पटवार प्रशिक्षण केन्द्र हेतु कार्यमुक्त करने के संबंध में :–**

i. प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में आपके जिले को आवंटित प्रशिक्षु अभ्यर्थियों के मूल आवेदन पत्र मय दस्तावेजों,जो राजस्व मण्डल द्वारा आपको उपलब्ध कराये गये हैं, की जाँच/सत्यापन मय चिकित्सक द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पुलिस विभाग द्वारा चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र की जाँच दिनांक **25–02–2026** तक आपके स्तर से करवा ले।

ii. दिनांक **26–02–2026** तक आपके यहाँ उपस्थिति देने वाले अभ्यर्थियों को आपके जिले हेतु आवंटित स्थाई/अस्थाई पटवार प्रशिक्षण शाला में दिनांक **26/02/2026** को प्रातः 10 बजे उपस्थिति देने हेतु पाबन्द करें एवं प्रशिक्षु पटवारी ने जितने दिन आपके यहाँ उपस्थिति दी है उसका उल्लेख आवंटित पटवार प्रशिक्षण शाला के लिए जारी किये जाने वाले कार्यमुक्ति आदेश में किया जावें।

iii. प्रासंगिक पत्र के साथ संलग्न स्थाई/अस्थाई पटवार प्रशिक्षण केन्द्रों की सूची में जिले के अभ्यर्थियों की अंकित क्रम संख्या के अनुसार ही पटवार प्रशिक्षण शाला के लिए कार्यमुक्त किया जावें एवं राजस्व मण्डल की पूर्व अनुमति के बिना किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावें।

iv. प्रासंगिक पत्र के बिन्दु संख्या 14 में वर्णितानुसार प्रशिक्षु पटवारियों से स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित राशि का निर्धारित प्रपत्र में अनुबन्ध पत्र सभी अभ्यर्थियों से भरवाया जाकर जिला कलक्टर कार्यालय में उपस्थिति देते समय पूर्ण करवा ली जावें।

Signature valid
Digitally signed by Meenakshi Meena
Designation : Director
Date: 2026.02.20 13.38:44 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 20662276



Scanned with OKEN Scanner

v. प्रशिक्षण प्रारम्भ की दिनांक **26/02/2026** के अपराह्न 3.00 बजे तक rrtiajmer@rajasthan.gov.in पर निम्न प्रपत्र में सूचना भरकर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें :–

नाम जिला.................................................................................. दिनांक.......................

| क्र. सं. | पटवार प्रशिक्षण शाला का नाम | प्रधानाध्यापक (तहसीलदार) का नाम मय पद | मोबाईल नम्बर प्रधानाध्यापक (तहसीलदार) | आवंटित प्रशिक्षुओं की संख्या | उपस्थित प्रशिक्षुओं का विवरण | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | महिला | पुरूष | योग |
| | | | | | | | |

vi. प्रशिक्षण की व्यवस्थार्थ एवं स्थाई/अस्थाई प्रशिक्षण शालाओं के प्रभारी अधिकारी व अन्य स्टाफ से समन्वय आदि के सन्दर्भ में श्री हरि सिंह मीणा, तहसीलदार को प्रभारी नियुक्त किया जाता है जिनका सम्पर्क नम्बर (मो.) 9660384840 है। इनके सहायतार्थ श्रीमती सुनिता व्यास, भू अभिलेख निरीक्षक का मोबाईल नम्बर 9828231388 है।

2. **प्रशासनिक व्यवस्था बाबतः–**

अस्थाई पटवार प्रशिक्षण केन्द्रों के सुव्यवस्थित संचालन एवं सुचारू रूप से प्रशिक्षण कार्य के संबंध में गत पटवार परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को अस्थाई पटवार प्रशिक्षण केन्द्रों पर की गई प्रशासनिक व्यवस्था की भाँति इस बार भी निम्न व्यवस्था की जाती है:–

i. **नोडल अधिकारी :–** अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) को नोडल अधिकारी नियुक्त करावें जो सप्ताह में एक बार अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण केन्द्र का निरीक्षण कर प्रतिवेदन जिला कलक्टर को प्रस्तुत करेंगे।

ii. **सहायक नोडल अधिकारी:–** प्रभारी अधिकारी, भू अभिलेख अनुभाग, कलेक्ट्रेट (जिला मुख्यालय के उपखण्ड अधिकारी/अन्य अधिकारी जो इस अनुभाग के प्रभारी अधिकारी हैं) को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त करावें ,जो सप्ताह में तीन बार अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण केन्द्र का निरीक्षण करेंगे एवं केन्द्र की व्यवस्थाओं एवं समन्वय के लिए जिम्मेदार होंगे।

iii. **नियंत्रण अधिकारी:–**जिलें में पटवार प्रशिक्षण शाला जिला मुख्यालय पर नहीं हो कर दूरस्थ उपखण्ड मुख्यालय अथवा ऐसे उपखण्ड मुख्यालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने की अवस्था में संबंधित उपखण्ड अधिकारी नियत्रंण अधिकारी के रूप में प्रभारी अधिकारी होंगे तथा प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख अनुभाग जिला मुख्यालय सहायक नोडल अधिकारी यथावत रहेंगे ।

iv. **प्रधानाध्यापकः–** अस्थाई पी.टी.एस. पर संबंधित तहसील के तहसीलदार अथवा तहसीलदार (भू अभिलेख) जिला मुख्यालय को अस्थाई पी.टी.एस. के प्रधानाध्यापक के पद का अतिरिक्त कार्य हेतु नियुक्त करावें एवं यदि पटवार प्रशिक्षण शाला जिला मुख्यालय से दूरस्थ तहसील मुख्यालय या तहसील के क्षेत्र में स्थित होने की अवस्था में संबंधित तहसीलदार प्रधानाध्यापक का अतिरिक्त दायित्व निर्वहन करेंगे।

v. **अन्य कर्मचारियों की व्यवस्थाः–** अस्थाई पटवार प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण शाला के कार्यालयी कार्य हेतु आपके कार्यालय से एक वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक एवं

Signature valid
Digitally signed by Meenakshi Meena
Designation : Director
Date: 2026.02.20 13:38:44 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 20662276



Scanned with OKEN Scanner

दो सहायक कर्मचारी (एक दिन में एवं एक रात्रि व्यवस्थार्थ हेतु) लगाया जावें। अस्थाई पी.टी.एस. की रात्रि में चौकीदारी हेतु नियमानुसार सुरक्षा गार्ड (REXCO) के माध्यम से व्यवस्था कराई जावें जिसके बजट का आवंटन जिला कार्यालय द्वारा किया जायेगा।

**3 प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण / अध्यापन व्यवस्था बाबतः–**

i. प्रशिक्षण कार्य हेतु विषय विशेषज्ञों के अलावा सेवानिवृत्त तहसीलदार / नायब तहसीलदार / भू अभिलेख निरीक्षक तथा भू मापक तथा जिन्हें अपने विषय का पूर्ण ज्ञान हो गेस्ट फैकल्टी के रूप में बुलाया जा सकता है। जिन्हें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार मानदेय दिया जायेगा।

ii. नियमित अध्ययन कार्य हेतु सम्पूर्ण प्रशिक्षण अवधि के लिए 1 नायब तहसीलदार, दो भू अभिलेख निरीक्षक एवं 2 पटवारी, जो कार्यालय सम्बन्धी एवं भू अभिलेख नियमों की सम्पूर्ण विस्तृत जानकारी रखने वाला हो, के नियुक्ति आदेश जारी करावें।

iii. उपरोक्त के अलावा 1 अनुभवी निरीक्षक भू प्रबन्ध विभाग एवं 1 भू मापक जो भू प्रबन्ध विभाग की गतिविधियों का उचित तरीके से विश्लेषणात्मक अध्यापन का कार्य कर सके, की नियुक्ति भू प्रबन्ध विभाग के माध्यम से करवाया जाना सुनिश्चित करावें। भू प्रबन्ध विभाग से सेटलमेंट का सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण हेतु उपरोक्त वर्णित समुचित स्टाफ के साथ–साथ सर्वे यंत्र आदि की भी व्यवस्था विभाग द्वारा करवाया जाना है। इस सम्बन्ध में राजस्व मण्डल एवं इस कार्यालय द्वारा भी पृथक से उक्तानुसार नियुक्ति हेतु आयुक्त भू प्रबन्ध विभाग, जयपुर से निवेदन किया जा रहा है।

iv. अस्थाई पटवार प्रशिक्षण शाला में अध्यापन कार्य हेतु कम से कम 2–2 सेट काश्तकारी अधिनियम 1955,भू राजस्व अधिनियम 1956, राजस्थान भू राजस्व नियम भू अभिलेख नियम 1957 एवं अन्य बुक्स जैसे पंचायती राज अधिनियम 1995, यात्रा भत्ता नियम, मेडिकल परिचर्या,राजस्थान सेवा नियम,पेंशन नियम एवं अन्य पुस्तकें, जो पटवार विभागीय परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, की व्यवस्था भू अभिलेख शाखा, जिला कलेक्ट्रेट / अन्य कार्यालय / मद से अनिवार्य रूप से करावें अथवा नियमानुसार क्रय कर ली जावें प्रशिक्षण कार्य हेतु उक्त वर्णित आवश्यक पुस्तकें, क्रय करने हेतु बजट की मांग राज्य सरकार से की गई है जो प्राप्त होते ही आपको आवंटित कर दिया जायेगा।

v. गत प्रशिक्षण के दौरान राजस्व मण्डल द्वारा निर्धारित शिड्यूल के अनुसार प्रशिक्षण की अवधि छः माह की होगी। इस प्रशिक्षण में सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक दोनों प्रकार का प्रशिक्षण होगा। सैद्धान्तिक प्रशिक्षण 2 स्तर पर होगा जिसमें तहसील कार्यालय एवं पटवारी के पास फील्ड सम्बन्धी जानकारी के लिए एवं भू प्रबन्ध विभाग का प्रशिक्षण जिसमें भू प्रबन्ध विभाग की कार्यवाही एवं सर्वेक्षण संबंधि प्रशिक्षण प्रायोगिक रूप से दिलवाया जाना अपेक्षित है। भू प्रबन्ध संबंधि प्रशिक्षण हेतु भू प्रबन्ध विभाग में निर्धारित शैड्यूल के अनुसार प्रशिक्षणार्थियों को भिजवाया जावें। विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम मय साप्ताहिक कालांशवार टाईम टेबल पृथक से भिजवाया जा रहा है।

Signature valid

Digitally signed by Meenakshi Meena
Designation : Director
Date: 2026.02.20 13:38:44 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
20662276



Scanned with OKEN Scanner

**4.अस्थाई / स्थाई पटवार प्रशिक्षण शाला भवन में सामान्य व्यवस्था हेतुः—**

i. भवन में सफेदी व आवश्यक मरम्मत का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग / स्थानीय निकाय / पंचायतराज / जनसहयोग से करावें व प्रशिक्षणार्थियों हेतु उनकी संख्या के अनुसार प्लास्टिक की कुर्सियाँ नियमानुसार किराये पर ली जा सकती है।

ii. अस्थाई पटवार प्रशिक्षण शालाएँ पूर्णतः गैर आवासीय होगी ।

iii. स्थाई पटवार प्रशिक्षण शाला में भी राजकीय छात्रावास उपलब्ध होने पर ही व्यवस्था की जायेगी एवं ऐसी स्थिति में भी पहली प्राथमिकता महिला प्रशिक्षुओं को दी जायेगी।

iv. यद्यपि अधिकांश जिलों से राजकीय भवन में अस्थाई पटवार प्रशिक्षण शाला के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तथा आप द्वारा प्रस्तावित राजकीय भवन में अस्थाई पटवार प्रशिक्षण शाला घोषित करने हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रेषित कर दिये गये हैं परन्तु कुछ जिलों में निजी भवनों को अस्थाई पी.टी.एस. के रूप में प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। अतः प्रशिक्षण कार्य हेतु स्थल व भवन किराये पर लिया जाता है,तो 6 माह हेतु किराया / लीज का सार्वजनिक निर्माण विभाग के सक्षम अधिकारी से निर्धारण कराया जाकर इकरारनामा नियमानुसार कराया जाकर पंजीबद्ध कराया जावें। ये प्रस्ताव दिनांक 26 / 02 / 2026 से पूर्व तैयार कर भिजवावें ताकि राज्य सरकार से तदानुसार बजट की मांग की जा सके।

v. पटवार प्रशिक्षण शाला में पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जावें।

vi. पटवार प्रशिक्षण शाला में प्रशिक्षुओं के लिए महिला एवं पुरूष शौचालय की पृथक–पृथक व्यवस्था सुनिश्चित करावें।

vii. प्रत्येक अस्थाई पटवार प्रशिक्षण शाला में दूरभाष एवं ब्राडबैंड की व्यवस्था अनिवार्य रूप से कराई जावें ।

viii. पटवार प्रशिक्षण शाला में आवासीय व्यवस्था होने पर भी भोजन एवं बिस्तर आदि की व्यवस्था प्रशिक्षु पटवारियों को अपने स्तर पर करनी होगी। संबंधित प्रशिक्षुओं से हास्टल का नियमानुसार किराया वसूल किया जायेगा।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि राज्य में वर्तमान में सर्वउद्देश्यीय राजस्व प्रशिक्षणालय,टोंक एवं 6 स्थाई पटवार प्रशिक्षण शालाएँ स्थित है जिनमें सभी प्रशिक्षु पटवारियों को प्रशिक्षण दिलवाया जाना संभव नहीं होने के कारण राजस्व मण्डल, अजमेर से गत प्रशिक्षण की भाँति आपसे अस्थाई पटवार प्रशिक्षण शाला स्थापित करने हेतु चाहे गये प्रस्तावों के सन्दर्भ में प्राप्त प्रस्तावानुसार अस्थाई पटवार प्रशिक्षण शाला घ ोषित करने की स्वीकृति चाही गई है जो प्राप्त होते ही आपको प्रेषित कर दी जायेगी।

भवदीया,

निदेशक

राजस्व अनुसंध[illegible] संस्थान

Signature valid

Digitally signed by Meenakshi Meena
Designation : Director
Date: 2026.02.20 [illegible]3:38:44 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 20662276



Scanned with OKEN Scanner

अजमेर

क्रमांकः–रागरांख्यक / 3133-37 दिनांकः– 20/02/26

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान शासन सचिव, राजस्व विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. श्रीमान निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है अस्थाई पटवार प्रशिक्षण शालाओं में प्रधानाध्यापक के पदों पर तहसीलदार का पदस्थापन कराने का श्रम करावें।
3. श्रीमान भू प्रबन्ध आयुक्त, भू प्रबन्ध विभाग,राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि बिन्दु संख्या 3(iii) में वर्णितानुसार प्रत्येक स्थाई/अस्थाई पटवार प्रशिक्षण शाला में प्रशिक्षु पटवारियों को भू प्रबन्ध विभाग सैद्धान्तिक प्रशिक्षण हेतु मय सर्वेआलात एक–एक निरीक्षक भू प्रबन्ध विभाग एवं एक–एक भू मापक लगाने का श्रम करावें।
4. श्रीमान प्रधानाचार्य सर्व उद्देश्यीय राजस्व प्रशिक्षणालय टोंक/प्रधानाध्यापक समस्त पटवार प्रशिक्षण शालाएं ......................
5. श्रीमान प्रधानाध्यापक (तहसीलदार) रागरत पटवार प्रशिक्षण शालाए संबंधित जिला कलक्टर......................

**निदेशक**

Signature valid

Digitally signed by Meenakshi Meena
Designation : Director
Date: 2026.02.20 13:38:44 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
20662276



Scanned with OKEN Scanner